

6/12/24 पत्रावली वेश हुई। तत्काल पक्षकारान्
अनुपस्थित / न्यायालय द्वारा तीन-तीन
बार आवाज लगाई गई। उभयपक्ष
वावजूद सुचना के अनुपस्थित ही अतः
प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी
में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 प्राप्ता
दीवानी के तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शमार होकर। दर्ज
बम्बर से कम हो। आदेश सुने
न्यायालय में सुनाया गया।



उभय
उपरजण्ड अधिकारी
साँवर लेक